सर्वोच्च प्राथमिकता/अति महत्वपूर्ण
संख्या-3265 /आठ-9-21-25डीए/2019

प्रेषक,

दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

✓ 1. **आयुक्त,**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

2. **समस्त उपाध्यक्ष,**
विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।

3. **समस्त अध्यक्ष/सचिव,**
विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक 15 सितम्बर, 2021**

विषयः मा0 सांसद सदस्यों/राज्य विधान मण्डल के मा0 सदस्यों के प्रति शिष्टाचार एवं अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य प्रदर्शन के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की ओर से संसदीय कार्य विभाग के संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग के शासनादेश संख्या–555/90–सं0शि0प0का0/17–02(सं0शि0)/2015 दिनांक 18.10.2017, प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग, उत्तर प्रदेश की ओर से ऑनलाईन निर्गत क्रमशः शासनादेश संख्या–05/2018/1038/90–सं0शि0प0का0/18–02(सं0शि0)/2015 दिनांक 16.10.2018 एवं शासनादेश संख्या–02/2019/1155/90–सं0शि0 प0का0/19–02(सं0शि0)/2015 दिनांक 22.10.2019 **(छायाप्रतियां संलग्न)** का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने नियंत्रणाधीन कार्यरत् समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को अपने स्तर से यह निर्देशित करने का कष्ट करें कि मा0 संसद सदस्यों/राज्य विधान मण्डल के मा0 सदस्यों, मा0 जनप्रतिनिधियों के प्रति शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य प्रदर्शन के अनुपालन के सम्बन्ध में संसदीय कार्य विभाग के संसदीय शिष्टाचार/ पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग के उपर्युक्त संदर्भित संलग्न पत्र दिनांक 18.10.2017, 16.10.2018 एवं 22.10.2019 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांकः तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(2) अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0 लखनऊ।

आज्ञा से,

(रणविजय सिंह)
विशेष सचिव।

E:Sanjay Singh Ro/GO

[redacted]

संख्या- 555/90-सं0शि0प0का0/17-2(सं0शि0)/15

प्रेषक,

राजीव कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक 18 अक्टूबर, 2017

विषय:- मा0 संसद सदस्यों/ राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के प्रति शिष्टाचार/ अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य प्रदर्शन के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

मा0 संसद सदस्यों/ राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के प्रति शिष्टाचार/ अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य प्रदर्शन के सम्बन्ध में ज़ारी किये गये पार्श्वांकित शासनादेशों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत विषय में निरन्तर दिशा- निर्देश जारी होने के बावजूद शासन के संज्ञान में यह आया है कि मा0 संसद सदस्यों/ राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के प्रति सामान्य शिष्टाचार/ अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य-प्रदर्शन का पालन समुचित रूप से नहीं किया जा रहा है और यथोचित शिष्टाचार/प्रोटोकाल का पालन न किये जाने की शिकायतें प्राप्त होती रही हैं।

1- सं0-2586/79-सं-1-2007-66सं/1988, दि0 14 नवम्बर, 2007
2- सं0-275/79-सं-1-2008-10सं/2008, दि0 06 फरवरी, 2008
3- सं0-1483/79-सं-1-2008-66सं/1988 दि0 30 मई, 2008
4- सं0-2383/79-सं-1-2008-109सं/2008 दि0 21 अक्टूबर, 2008
5- सं0-285/79-सं-1-2009-24सं/2009, दि0 31 मार्च, 2009
6- सं0-762/79-सं-1-2009-66-सं/1988, दि0 28 मई, 2009
7- सं0-643 /79-सं-1-2009-28सं/2009, दि0 18 जून, 2009
8- सं0-545/90-सं-1-2011-38सं/2011, दि0 11 मई, 2011
9- सं0-602/90-सं-1-2011-43सं/2011, दि0 25 मई, 2011
10- सं0-1147/90-सं-1-2012-66सं/1988, दि0 12 अक्टूबर,2012
11- सं0-608/90-सं-1-2013-66सं/1988, दि0 10 मई, 2013
12- सं0-1223/90-सं-1-2013-14सं/2013 दि0 25 सितम्बर,2013
13- सं0-1541/90-सं-1-2013-66सं/2008, दि0 31 दिसम्बर, 2013
14- सं0-1173/90-सं-1-2014-70सं/84 दि0 25 अगस्त, 2014
15- सं0-214/90-सं0शि0प0का/2015-02सं0शि0/2015,दि0 15 सितम्बर, 2015
16- सं0-831/90-सं0शि0प0का/2016-02सं0शि0/2015,दि028 अक्टूबर, 2016
17- सं0-478/90-सं0शि0प0का/2017-02सं0शि0/2015,दि0 19 सितम्बर, 2017

2- इस सम्बन्ध में विशेष रूप से भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के अर्धशा0 पत्र संख्या-11013/4/2011-स्था (क)दिनांक 08 दिसम्बर, 2011 सपठित सम संख्यक कार्यालय ज्ञाप संख्या- दिनांक 01 दिसम्बर, 2011, का कृपया संदर्भ ग्रहण करें जिसमें प्रशासन तथा सांसद एवं राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के बीच सरकारी कार्य-व्यवहार में समुचित आचरण का अनुपालन करने हेतु विस्तृत दिशा- निर्देश उल्लिखित हैं। सूच्य है कि उक्त

--/2

अर्द्धशा0 पत्र मुख्य सचिव के पत्र संख्या-665/90सं-1-212-70सं/1984 दिनांक 25 जून, 2012 के द्वारा कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रेषित किया गया है।

(3) सामान्य प्रशासन अनुभाग के शासनादेश संख्या-796/तीन-2013-72(1)/91 दिनांक 17 जुलाई, 2013 द्वारा निर्गत संशोधित सहायक पूर्वताधिपत्र (सब्सिडियरी वारण्ट ऑफ प्रिसीडेंस) के अनुसार मा0 सांसदों व मा0 विधायकों को कोटिक्रम 22 तथा 22-अ में रखा गया है तथा राज्य के मुख्य सचिव, अध्यक्ष, राजस्व परिषद, एडवोकेट जनरल, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, राजस्व परिषद, अध्यक्ष, लोक सेवा अधिकरण, विश्वविद्यालय के कुलपति, आयुक्त, सचिव, पुलिस महानिरीक्षक, विशेष सचिव, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्साधिकारी आदि समस्त अधिकारी मा0 विधायकों से कोटिक्रम में नीचे हैं।

(4) सभी सरकारी अधिकारियों से पुन: यह अपेक्षित है कि उनके द्वारा जनप्रतिनिधियों के पत्रों की प्राप्ति-स्वीकार (Acknowledge) की जाय और शीघ्रतापूर्वक सम्यक विचारोपरान्त उन्हें कृत कार्यवाही से अवगत करा दिया जाय। अधिकारी मा0 जनप्रतिनिधि के फोन आने पर कॉल रिसीव (Receive) करेंगें । साथ ही बैठक में होने/ अनुपलब्ध होने पर कॉल की जानकारी होने के उपरान्त प्राथमिकता पर जनप्रतिनिधि को कॉल बैक करेंगें। यदि सांसद/ राज्य विधान मण्डल के माननीय सदस्यगण, जनप्रतिनिधि के रूप में जनहित से जुड़े कार्यों के सम्बन्ध में उनसे भेंट करते हैं तो उन्हें यथोचित सम्मान दें, अपनी सीट से खड़े होकर उनका स्वागत करें तथा उनसे यथास्थिति जलपान/ जल ग्रहण हेतु आग्रह करेंगे। उनसे वार्ता करते समय अधिकारी यदि उनके अनुरोध या सुझाव को स्वीकार करने में असमर्थ हों, तो अधिकारी द्वारा अनुरोध को स्वीकार न किये जाने के कारणों से मा0 सदस्य को विनम्रतापूर्वक अवगत करा देना चाहिए। अधिकारियों से यह भी अपेक्षित होगा कि वह राज्य विधान मण्डल के माननीय सदस्यों को खड़े होकर सम्मानपूर्वक **विदा** करेगें।

(5) सार्वजनिक कार्यक्रमों के निमंत्रण/ आमंत्रण पत्र में पूर्वाताधिपत्र (सब्सिडियरी वारण्ट ऑफ प्रिसीडेंस) के कोटिक्रम का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। अधिकारियों द्वारा शिलान्यास एवं उद्घाटन न किये जाने के सम्बन्ध में कार्मिक अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-13/21/93-का-1-2001 दिनांक 20 नवम्बर, 2001 में स्पष्ट निर्देश निर्गत किये गये हैं कि शासन द्वारा कार्यो के लिए स्वीकृत धनराशि के लिए किए जा रहे कार्यों का कोई भी उद्घाटन अथवा शिलान्यास समारोह अथवा विकास कार्यो के अन्तर्गत स्वीकृत ऋण की धनराशि का वितरण समारोह अथवा सहायता शिविरों में सामग्री का वितरण न किये जाने अथवा ऐसे अन्य समारोहों में अधिकारीगण मुख्य अतिथि की हैसियत से भाग नहीं लेंगे। इस शासनादेश द्वारा पुन: निर्देशित किया जा रहा है कि कार्मिक विभाग के उक्त शासनादेश दिनांक 20 नवम्बर, 2001 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

उपर्युक्त निर्देश इस आशय से पुन: प्रसारित किए जा रहे हैं कि जनप्रतिनिधि, जो कि सब्सिडियरी वारण्ट ऑफ प्रिसीडेंस में एक निर्धारित प्रास्थिति रखते हैं, उनके साथ उपयुक्त शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य-प्रदर्शन शीर्ष प्राथमिकता पर सुनिश्चित किया जाय, शिष्टाचार सम्बन्धी शासन के निर्देशों का उल्लंघन उ0 प्र0 राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के नियम-3 (2) की परिधि में आता है, जो इस प्रकार है:-

" नियम-3 सामान्य के प्रस्तर (2) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, सभी समयों पर, व्यवहार तथा आचरण को विनियमित करने वाले प्रवृत विशिष्ट या अन्तर्निहित शासकीय आदेशों के अनुसार आचरण करेगा। "

अत: शिष्टाचार उल्लंघन के मामलों में नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

कृपया सर्वोच्च प्राथमिकता पर इन आदेशों को अपने अधीनस्थ अधिकारियों के संज्ञान मे लाने तथा तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने की व्यवस्था करें।

भवदीय,
राजीव कुमार
मुख्य सचिव।

--/3

संख्या-**555(1)**/90-सं0शि0प0का0/17-2 (सं0शि0)/15तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।
2- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
5- निजी सचिव, मा0 संसदीय कार्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुरेश कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव।

सर्वोच्च प्राथमिकता

संख्या- 2/2021/311/90-सं0शि0प0का0/2021-02(सं0शि0)/2015

प्रेषक,

जे0पी0सिंह-II,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
2- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश ।
3- समस्त मण्डलायुक्त/ समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग **लखनऊ: दिनांक 23 मार्च, 2021**

विषय:- मा0 संसद सदस्य एवं राज्य विधान मण्डल के मा0 सदस्यों के प्रति शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य प्रदर्शन के अनुपालन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की ओर से संसदीय कार्य विभाग के संसदीय शिष्टाचार/ पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग के शासनादेश संख्या-555/90-सं0शि0प0का0/17-02(सं0शि0)/2015 दिनांक-18-10-2017, प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग, उत्तर प्रदेश की ओर से ऑनलाईन निर्गत क्रमश: शासनादेश संख्या-05/2018/1038/90-सं0शि0प0का0/18-02(सं0शि0)/2015 दिनांक-16-10-2018 एवं शासनादेश संख्या-02/2019/1155/90-सं0शि0प0का0/19-02(सं0शि0)/2015 दिनांक-22-10-2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग के उक्त शासनादेशों में स्पष्ट दिशा-निर्देश दिये गये थे कि अधिकारीगण मा0 जनप्रतिनिधियों के फोन आने पर कॉल रिसीव (Receive) करेंगे साथ ही बैठक में होने/ अनुपलब्ध होने पर कॉल की जानकारी होने के उपरान्त प्राथमिकता पर जनप्रतिनिधि को कॉल बैक करेंगे। किन्तु उक्त शासनादेशों में दिये गये स्पष्ट निर्देशों के वावजूद शासन के संज्ञान में यह आया है, कि मा0 संसद सदस्यों/ राज्य विधान मण्डल के मा0 सदस्यों द्वारा जनहित हेतु जनपदों के अधिकारियों को फोन किये जाने पर न तो काल रिसीव की जा रही है और न ही कॉल बैक की जा रही है। उक्त के अतिरिक्त यह भी संज्ञान में आया है, कि अधिकारियों द्वारा अपने स्पष्टीकरण में यह उल्लेख किया जाता है, कि उनके मोबाइल में मा0 सदस्यगण का नम्बर **सेव (Save)** नहीं था, इस लिए कॉल बैक नहीं की जा सकी।

अत: आपसे अनुरोध है, कि कृपया अपने नियंत्रणाधीन कार्यरत समस्त अधिकारियों/ कर्मचारियों को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें, कि वे अपनी तैनाती के जनपद के संसदीय/ विधान सभा क्षेत्र के सभी मा0 संसद सदस्य, लोक सभा/ राज्य सभा एवं राज्य विधान मण्डल के मा0 सदस्यगण के फोन नं0 अपने कार्यालय/ मोबाईल में **सेव (Save)** करेगें तथा शासन द्वारा पूर्व में निर्गत उक्त शासनादेशों के आलोक में मा0 जनप्रतिनिधियों के फोन आने पर तत्काल कॉल **रिसीव (Receive)** करेंगें साथ ही बैठक में होने/ अनुपलब्ध होने पर कॉल की जानकारी होने के उपरान्त प्राथमिकता पर सम्बन्धित जनप्रतिनिधि को कॉल बैक करेंगें तथा उनके द्वारा जनसामान्य की समस्याओं के निराकरण हेतु दिये गये सुझावों/ अनुरोध का निस्तारण नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करेंगें।

भवदीय,

जे0पी0सिंह-II
प्रमुख सचिव।

क्रमश:पृ-2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-3/2019//1285(1)/90-सं0शि0प0का0/19-02(सं0शि0)/15 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।
2- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
5- निजी सचिव, संसदीय कार्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।
6- उ0 प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

जे0पी0 सिंह-II
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

[redacted]

सर्वोच्च प्राथमिकता

संख्या-2/2019/1155/90-सं0शि0प0का0/2019-02(सं0शि0)/2015

प्रेषक,

जे0पी0 सिंह-II,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग — लखनऊ: दिनांक- 22 अक्टूबर, 2019

विषय:-मा0 संसद-सदस्यों/राज्य विधान मण्डल के मा0 सदस्यों के प्रति शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य प्रदर्शन के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

मा0 संसद सदस्यों/राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के प्रति शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य प्रदर्शन के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की ओर से संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग द्वारा जारी किये गये शासनादेश संख्या-555/90-सं0शि0प0का0/17-02 (सं0शि0)/ 2015 दिनांक-18 अक्टूबर, 2017 एवं प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग की ओर से ऑन लाइन निर्गत शासनादेश संख्या–05/2018/1037/90-सं0शि0प0का0/18-02(सं0शि0)/2015 दिनांक-16 अक्टूबर, 2018 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत विषय में निरन्तर दिशा-निर्देश जारी होने के बावजूद शासन के संज्ञान में यह आया है कि मा0 संसद सदस्यों/राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के प्रति सामान्य शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य-प्रदर्शन का पालन समुचित रूप से नहीं किया जा रहा है और यथोचित शिष्टाचार/प्रोटोकाल का पालन न किये जाने की शिकायतें प्राप्त होती रही हैं। इसी सन्दर्भ में मा0 सभापति की अध्यक्षता में दिनांक-02 सितम्बर, 2019 को उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संसदीय अध्ययन समिति की बैठक में मा0 सदस्यगणों द्वारा प्रदेश के अधिकारियों द्वारा समुचित प्रोटोकाल न प्रदान किये जाने का मामला समिति के समक्ष उठाया गया है। उक्त बैठक में मा0 सभापति द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए इस सम्बन्ध में समस्त अधिकारियों को पुन: कड़े दिशा- निर्देश निर्गत किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने स्तर से अपने नियंत्रणाधीन समस्त अधिकारियों/ कर्मचारियों को यह निर्देशित करने का कष्ट करें कि मा0 सभापति, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संसदीय अध्ययन समिति के निर्देशों के आलोक में मा0 संसद-सदस्यों/ राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के प्रति शिष्टाचार/ अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य प्रदर्शन के अनुपालन के सम्बन्ध में

क्रमश:पृष्ठ-2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

shasanadesh.up.gov.in

मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की ओर से संसदीय कार्य विभाग (संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग) द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-555/90-सं0शि0प0का0/17-02(सं0शि0)/2015 दिनांक-18 अक्टूबर, 2017 एवं ऑन-लाइन निर्गत शासनादेश संख्या–05/2018/1037/90-सं0शि0प0का0/18-02 (सं0शि0)/ 2015 दिनांक-16 अक्टूबर, 2018 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

3- उपर्युक्त निर्देश इस आशय से पुन: प्रसारित किए जा रहे हैं कि जनप्रतिनिधि, जो कि सब्सिडियरी वारण्ट ऑफ प्रिसीडेंस में एक निर्धारित प्रास्थिति रखते हैं, उनके साथ उपयुक्त शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य-प्रदर्शन शीर्ष प्राथमिकता पर सुनिश्चित किया जाय। शिष्टाचार सम्बन्धी शासन के निर्देशों का उल्लंघन उ0प्र0 राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के नियम-3 (2) की परिधि में आता है, जो इस प्रकार है:-

नियम-3.-का प्रस्तर-(2) "प्रत्येक सरकार कर्मचारी, सभी समयों पर, व्यवहार तथा आचरण को विनियमित करने वाले प्रवृत विशिष्ट या अन्तर्निहित शासकीय आदेशों के अनुसार आचरण करेगा।"

अत: शिष्टाचार उल्लंघन के मामलों में नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

कृपया सर्वोच्च प्राथमिकता पर इन आदेशों को अपने अधीनस्थ अधिकारियों के संज्ञान मे लाने तथा तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने की व्यवस्था करें।

भवदीय,
(जे0पी0 सिंह-II)
प्रमुख सचिव।

संख्या-2/2019/1155(1)/90-सं0शि0प0का0/19-02(सं0शि0)/2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।
2- विधान परिषद सचिवालय (समिति अनुभाग-2) को मा0 संसदीय अध्ययन समिति के अवलोकनार्थ प्रेषित।
3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
5- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
6- निजी सचिव, संसदीय कार्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(ग्रीश कुमार वैश्य)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सर्वोच्च प्राथमिकता

संख्या-5/2018/1037/90-सं0शि0प0का0/2018-02(सं0शि0)/2015

प्रेषक,

सुरेश कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग — लखनऊ: दिनांक 16 अक्टूबर, 2018

विषय:- मा0 संसद-सदस्यों/राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के प्रति शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य प्रदर्शन के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

मा0 संसद सदस्यों/राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के प्रति शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य प्रदर्शन के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेश संख्या-555/90-सं0शि0प0का0/17-02 (सं0शि0)/2015, दिनांक 18 अक्टूबर,2017 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत विषय में निरन्तर दिशा-निर्देश जारी होने के बावजूद शासन के संज्ञान में यह आया है कि मा0 संसद सदस्यों/राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के प्रति सामान्य शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य-प्रदर्शन का पालन समुचित रूप से नहीं किया जा रहा है और यथोचित शिष्टाचार/प्रोटोकाल का पालन न किये जाने की शिकायतें प्राप्त होती रही हैं। इसी सन्दर्भ में विधान सभा के द्वितीय सत्र,2018 में श्री सुखदेव राजभर, मा0 सदस्य,विधान सभा द्वारा नियम-300 के अन्तर्गत प्रश्नगत प्रकरण पर मा0 सदस्यों को प्रदेश के अधिकारियों द्वारा समुचित प्रोटोकाल न प्रदान किये जाने का मामला सदन में उठाया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने स्तर से अपने नियंत्रणाधीन समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को यह निर्देशित करने का कष्ट करें कि वह मा0 संसद-सदस्यों/राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के प्रति शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य प्रदर्शन के अनुपालन के सम्बन्ध में मुख्य सचिव,उ0प्र0 शासन की ओर से शासन के संसदीय कार्य विभाग (संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग) द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-555/90-सं0शि0प0का0/17-02(सं0शि0)/2015 दिनांक 18 अक्टूबर,2017 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

3- उपर्युक्त निर्देश इस आशय से पुन: प्रसारित किए जा रहे हैं कि जनप्रतिनिधि, जो कि सब्सिडियरी वारण्ट ऑफ प्रिसीडेंस में एक निर्धारित प्रास्थिति रखते हैं, उनके साथ उपयुक्त शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य-प्रदर्शन शीर्ष प्राथमिकता पर सुनिश्चित किया जाय। शिष्टाचार सम्बन्धी शासन के निर्देशों का

क्रमश:पृष्ठ-2

उल्लंघन उ0प्र0 राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के नियम-3 (2) की परिधि में आता है, जो इस प्रकार है:-

नियम-3.-का प्रस्तर-(2) "प्रत्येक सरकार कर्मचारी, सभी समयों पर, व्यवहार तथा आचरण को विनियमित करने वाले प्रवृत विशिष्ट या अन्तर्निहित शासकीय आदेशों के अनुसार आचरण करेगा।"

अत: शिष्टाचार उल्लंघन के मामलों में नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

कृपया सर्वोच्च प्राथमिकता पर इन आदेशों को अपने अधीनस्थ अधिकारियों के संज्ञान मे लाने तथा तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने की व्यवस्था करें।

भवदीय,
सुरेश कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव।

संख्या- 5/2018/1037(1)/90-सं0शि0प0का0/18-02(सं0शि0)/2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।
2- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
5- निजी सचिव, संसदीय कार्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।
6- उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कौशलेन्द्र यादव
विशेष सचिव।

[redacted]

सर्वोच्च प्राथमिकता

संख्या-5/2018/1037/90-सं0शि0प0का0/2018-02(सं0शि0)/2015

प्रेषक,

सुरेश कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग — लखनऊ: दिनांक 16 अक्टूबर, 2018

विषय:- मा0 संसद-सदस्यों/राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के प्रति शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य प्रदर्शन के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

मा0 संसद सदस्यों/राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के प्रति शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य प्रदर्शन के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेश संख्या-555/90-सं0शि0प0का0/17-02 (सं0शि0)/2015, दिनांक 18 अक्टूबर,2017 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत विषय में निरन्तर दिशा-निर्देश जारी होने के बावजूद शासन के संज्ञान में यह आया है कि मा0 संसद सदस्यों/राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के प्रति सामान्य शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य-प्रदर्शन का पालन समुचित रूप से नहीं किया जा रहा है और यथोचित शिष्टाचार/प्रोटोकाल का पालन न किये जाने की शिकायतें प्राप्त होती रही हैं। इसी सन्दर्भ में विधान सभा के द्वितीय सत्र,2018 में श्री सुखदेव राजभर, मा0 सदस्य,विधान सभा द्वारा नियम-300 के अन्तर्गत प्रश्नगत प्रकरण पर मा0 सदस्यों को प्रदेश के अधिकारियों द्वारा समुचित प्रोटोकाल न प्रदान किये जाने का मामला सदन में उठाया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने स्तर से अपने नियंत्रणाधीन समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को यह निर्देशित करने का कष्ट करें कि वह मा0 संसद-सदस्यों/राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के प्रति शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य प्रदर्शन के अनुपालन के सम्बन्ध में मुख्य सचिव,उ0प्र0 शासन की ओर से शासन के संसदीय कार्य विभाग (संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग) द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-555/90-सं0शि0प0का0/17-02(सं0शि0)/2015 दिनांक 18 अक्टूबर,2017 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

3- उपर्युक्त निर्देश इस आशय से पुन: प्रसारित किए जा रहे हैं कि जनप्रतिनिधि, जो कि सब्सिडियरी वारण्ट ऑफ प्रिसीडेंस में एक निर्धारित प्रास्थिति रखते हैं, उनके साथ उपयुक्त शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य-प्रदर्शन शीर्ष प्राथमिकता पर सुनिश्चित किया जाय। शिष्टाचार सम्बन्धी शासन के निर्देशों का

क्रमश:पृष्ठ-2

उल्लंघन उ0प्र0 राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के नियम-3 (2) की परिधि में आता है, जो इस प्रकार है:-

नियम-3.-का प्रस्तर-(2) "प्रत्येक सरकार कर्मचारी, सभी समयों पर, व्यवहार तथा आचरण को विनियमित करने वाले प्रवृत विशिष्ट या अन्तर्निहित शासकीय आदेशों के अनुसार आचरण करेगा।"

अत: शिष्टाचार उल्लंघन के मामलों में नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

कृपया सर्वोच्च प्राथमिकता पर इन आदेशों को अपने अधीनस्थ अधिकारियों के संज्ञान मे लाने तथा तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने की व्यवस्था करें।

भवदीय,
सुरेश कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव।

संख्या- 5/2018/1037(1)/90-सं0शि0प0का0/18-02(सं0शि0)/2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।
2- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
5- निजी सचिव, संसदीय कार्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।
6- उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कौशलेन्द्र यादव
विशेष सचिव।